उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची
बुधवार, 16 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1934
(दिनांक : 06 जून, 2012)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।

2. अन्य प्रश्न देखिए नत्थी **"ख"**)।

3. निधन के निदेश।

4. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2010-11 का वार्षिक लेखा तथा केन्द्रीय अधिनियम, 2003 की धारा 105(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे।

5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

6. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

7. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

8. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

9. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

10. वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

11. वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

    (1) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 98555 हजार (नौ करोड़ पचासी लाख पचपन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

    (अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(2) वित्त मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 वित्त, कर , नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 18778697 हजार (एक हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़ छियासी लाख सतावने हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(3) राजस्व मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 2967817 हजार (दो सौ छियानवे करोड़ अठहत्तर लाख सत्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(4) सहकारिता मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 296743 हजार (उन्तीस करोड़ सरसठ लाख तैंतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(5) सिंचाई मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 6363521 हजार (छः सौ छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख इक्कीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(6) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 7202267 हजार (सात सौ बीस करोड़ बाईस लाख सरसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(7) ग्राम्य विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 4625265 हजार (चार सौ बासठ करोड़ बावन लाख पैंसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(8) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 2617785 हजार (दो सौ इकसठ करोड़ सतहत्तर लाख पचासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(9) पर्यटन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 696518 हजार (उन्हत्तर करोड़ पैंसठ लाख अठ्ठारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(10) कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 668674 हजार (छियासठ करोड़ छियासी लाख चौहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

12. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

13. जनपद देहरादून में बरसात में रिस्पना व बिन्दाल नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा हेतु दोनों नदियों के किनारों पर जाल व पुस्ते लगाने की कार्यवाही बरसात से पूर्व किये जाने के संबंध में श्री राजकुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 04 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, सिंचाई मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

14. विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत भारत सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हरशीला पुडकूनी, रिखाड़ी-वाछम, धरमपुर, चुचेर-माज खेत तथा बुडियाधार-फरशाली-गुलेर मोटर मार्गों को पक्के मोटर मार्गों में परिवर्तित न करने से हो रही कठिनाईयों के संबंध में श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 04 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, ग्राम्य विकास मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

(डी०पी०गैरोला)
प्रमुख सचिव।

देहरादून :
दिनांक : 06 जून, 2012

द्वितीय सत्र, 2012
का द्वितीय बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

बुधवार, 16 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1934

(दिनांक : 06 जून, 2012)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

श्री मदन कौशिक 21.05.2012	**क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य का विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार द्वारा विशेष श्रेणी के अन्तर्गत राज्य को जो सुविधायें भारत सरकार द्वारा दी जा रही थी, क्या सभी सुविधायें समाप्त कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो विशेष श्रेणी राज्य हेतु सरकार ने कोई प्रयास किये हैं ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहे हैं ?	नियोजन

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

श्री राजेश शुक्ला 09.05.2012	*1. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के किच्छा नगर पालिका सेल में जब पूर्व से ही मास्टर प्लान (विनियमित क्षेत्र अधिनियम) के रूप में एक भूमि सुधार कानून लागू है तो वहां एक अन्य भूमि सुधार चकबन्दी किन परिस्थितियों में कराई जा रही है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में चकबन्दी रोकने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	राजस्व
श्री दान सिंह भण्डारी 10.05.2012	*2. क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के समस्त न्याय पंचायतों में जनता की सुविधा हेतु क्या सरकार मिनी बैंकों की स्थापना किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सहकारिता
श्री दान सिंह भण्डारी 11.05.2012	*3. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में श्रेणी 4–5–6–7 की भूमि है ? यदि हां, तो क्या सरकार उत्तराखण्ड में भूमिहीनों को पट्टे दिलवाने हेतु कोई प्रावधान रखे जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	राजस्व
श्री मदन कौशिक 11.05.2012 श्री अजय टम्टा 21.05.2012	*4. क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डरों के समय से न मिल पाने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को उनके निवास पर गैस मुहैया कराने के लिए कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	खाद्य
श्री अजय भट्ट 11.05.2012	*5. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत वर्ष प्रदेश में आई दैवी आपदा में कुल कितने गावों को विस्थापन के लिए चिन्हित किया गया था तथा उनका विवरण क्या है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त गावों का विस्थापन करेगी।	आपदा प्रबन्धन

श्री बिशन सिंह चुफाल 11.05.2012	*6. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने हाईड्रम सिंचाई योजना बन्द हैं एवं बन्द होने के, क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त बन्द योजनाओं को कब तक चलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री मदन कौशिक 14.05.2012	*7. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वर्तमान में कुल कृषि असिंचित क्षेत्रफल कितना है तथा कृषि असिंचित क्षेत्रफल को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री हरभजन सिंह चीमा 14.05.2012	*8. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश की प्रशासनिक इकाईयों का पुनर्गठन किए जाने के प्रति प्रतिबद्ध है ? यदि हां, तो सरकार प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु आयोग का गठन कब तक करेगी व उसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	राजस्व
श्री हरभजन सिंह चीमा 14.05.2012	*9. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में बहने वाली ढेला नदी में प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में बाढ़ आने से नगरक्षेत्र एवं ग्रामीण इलाकों में जान माल का भारी नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या बाढ़ के कहर से क्षेत्र को बचाये जाने हेतु नदी के किनारे पक्के तटबन्ध बनाए जाने का कार्य बरसात से पूर्व कराया जाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 14.05.2012	*10. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि राज्य में नदियों में जलस्राव रोकने एवं निरंतर जनप्रवाह बनाये रखने हेतु नदी, नालों पर छोटी–छोटी झील या डैम बनाकर जल संरक्षण की योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में किन किन नदियों, नालों व गधेरों में डैम या झील बनाकर जलप्रवाह बढ़ाया गया है ? क्या सरकार जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कोई योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिचांई
श्री अरविन्द पान्डे 15.05.2012	*11. क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर में वर्ष 2012 में कितने गेहूं खरीद केन्द्र स्थापित किये गये व कितना गेहूं क्रय किया गया तथा विगत वर्षों 2010 व 2011 में स्थापित केन्द्रों की संख्या तथा क्रय किया गया गेहूं कितना था ? खाद्यान्न के उत्पादन, भण्डारण तथा क्रय किये जाने हेतु क्या सरकार कोई पारदर्शी नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?	खाद्य

श्री विक्रम सिंह नेगी 16.05.2012	*12. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध झील के कारण विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के विभिन्न गावों में बड़ी संख्या में भूस्खलन हो रहा है ? क्या यह सत्य है कि भूस्खलन के आंकलन के लिये गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिर्पोट में कई गावों को हटाने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विशेषज्ञ समिति की रिर्पोट के अनुसार कब तक उक्त ग्रामों का पुनर्वास किया जायेगा ? क्या पुनर्वास निदेशालय के पास भूमि उपलब्ध है ? यदि हां, तो पुनर्वास निदेशालय कब तक भूमि उपलब्ध करायेगी ?	**सिंचाई**
श्री दान सिंह भण्डारी 10.05.2012	*13. क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के समस्त जिलों के छोटे लघु सीमान्त कृषकों को कम ब्याजदर पर ऋण और सबसिडी दिये जाने हेतु क्या सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**सहकारिता**

अतारांकित प्रश्न

श्री दान सिंह भण्डारी 10.05.2012	1. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों की पंचायत निधि की धनराशि 5–5 लाख रू0 प्रतिवर्ष विकास कार्यों के रूप में दिये जाने हेतु क्या सरकार कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**पंचायती राज**
श्री मालचन्द 11.05.2012	2. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगांव, पुरोला, मोरी में क्षेत्रीय ग्रामीण शरद ऋतु में सूखे पशु चारे व घास–भूस का संरक्षण कर घरों में रखते हैं जो आगजनी की दुर्घटनाओं की दृष्टि से बहुत विनाशकारी है ? क्या सरकार सूखे पशु चारे व घास–भूस के सुरक्षित रख रखाव के लिए पर्वतीय क्षेत्र में शेड या कोई अन्य उचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**आपदा प्रबन्धन**
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 11.05.2012	3. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत कौलीढेक, लोहाघाट में झील निर्माण का कार्य प्रस्तावित है ? क्या योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब तक योजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?	**तृतीय बुधवार के अता0 17 में स्थाना0**

श्री अजय भट्ट 11.05.2012	4. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले के तहसील रानीखेत के अन्तर्गत ग्राम सभा मजगांव के तोक उकला को गगास नदी द्वारा अन्दर तक काट दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त गांव को बचाने के लिए क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मानसून प्रारम्भ होने से पहले तक उकला गांव को बचाने हेतु कोई सबूत प्रबन्धन करेगी ?	सिंचाई
श्री बिशन सिंह चुफाल 11.05.2012	5. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम तड़ीगांव में रामगंगा नदी से सिंचाई हेतु हाईड्रम बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री गणेश जोशी 11.05.2012	6. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में ग्राम सभा क्यारा तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त क्षेत्र के अधिकांश गांव भैरखेत, ग्वाड़, खालेच, रगड़, उठयाणु, बसवाल गांव, धनोल्टी हाईस्कूल आदि फिर भी सड़क से वंचित रह जाएंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार क्यारा मोटर मार्ग को आगे क्यारा, धनोल्टी हाईस्कूल तक स्वीकृति दिए जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री आदेश चौहान 11.05.2012	7. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 2010 में आई दैवीय आपदा के कारण जनपद हरिद्वार के बी0एच0ई0एल0 रानीपुर विधान सभा क्षेत्र के शिवालिक नगर के एस0 कलस्टर के निकट से जाने वाली रानीपुर रोह नदी के निकट के आवासीय भवनों को वर्ष 2010 में आयी दैवीय आपदा के कारण खतरा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में भू–कटाव को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार आगामी बरसात के पूर्व प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा तथा भूमि संरक्षण कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री अरविन्द पाण्डेय 11.05.2012	8. क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में मिट्टी तेल के आबंटित होने वाले कोटे में कटौती कर दी गयी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में मिट्टी तेल उपलब्ध कराने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण क्या है तथा मिट्टी तेल की अवश्यकता के अनुरूप अपूर्ति के संबंध में सरकार की कार्ययोजना क्या है ?	खाद्य
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 14.05.2012	9. क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी खाद्यान्न नीति में कोई परिवर्तन हुआ है तथा उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार द्वारा मिट्टी के तेल में कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?	खाद्य

श्री मालचन्द 14.05.2012	10. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगांव, पुरोला, मोरी के भेड़ पालकों को प्राकृतिक आपदाओं से पशु हानि के लिए उचित मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	आपदा प्रबन्धन
श्री राजेश शुक्ला 14.05.2012	11. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि कई वर्षों से एस0डी0एम0 किच्छा के पद पर नियुक्त अधिकारी किच्छा स्थित कार्यालय में न बैठकर रूद्रपुर कार्यालय में बैठते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार किच्छा के एस0डी0एम0 के कार्यों का संचालन किच्छा में स्थापित कार्यालय से किए जाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	राजस्व
श्री मालचन्द 15.05.2012	12. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत रामासिंराई के कास्तकारों हेतु बडियाड़ खड से जल लिफ्ट योजना बनवाई जाएगी जिससे कास्तकारो की समस्त कृषि भूमि सिंचित हो सके तथा समय रहते अपनी फसलें तैयार कर उन्हे उचित दाम प्राप्त हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री अरविन्द पाण्डे 15.05.2012	13. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार तथा ऊधमसिंहनगर के राजस्व विभाग के कर्मचारी आन्दोलनरत हैं तथा उनके आन्दोलन के कारण जनता को जाति प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों के बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार हडताल कर्मचारियों से होने वाली कठिनाई का निराकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	राजस्व
श्री चन्द्रशेखर 15.05.2012	14. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत नहरी सिंचित क्षेत्र, के नहरों में नियमित पानी न मिलने से कास्तकारों को बहुत नुकसान हो रहा है ? क्या सरकार नहरों में नियमित पानी की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री विक्रम सिंह नेगी 15.05.2012	15. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत टिहरी बांध जलाशय के निकट क्षेत्रों में आवागमन को सुलभ बनाने व पर्यटन से जोड़ने हेतु बांध जलाशय के चारों ओर रिंग रोड के निर्माण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो रिंग रोड की स्वीकृति कर निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?	सिंचाई

श्रीमती विजय बड़थ्वाल 15.05.2012	16. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि ग्राम्य विकास विभाग में विकास खण्ड स्तर पर कार्मिकों की कमी के कारण मनरेगा एंव आजीविका जैसी महत्वपूर्ण योजनायें प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों पर शासन स्तर से नियुक्ति स्थाई रूप से कब तक करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री मालचंद 16.05.2012	17. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा पुरोला के अन्तर्गत, नौगांव, पुरोला, मोरी में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु नहरों के स्थान पर छोटी–छोटी झीलों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?	सिंचाई
श्री विक्रम सिंह नेगी 16.05.2012	18. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि टिहरी बांध की दीवार पर बनी सड़क आवागमन प्रतिबन्ध होने के कारण क्षेत्रीय जनता को कई कि0मी0 का अतिरिक्त सफर करने के लिये जीरो प्वाइन्ट से होकर जाना पड़ता है ? यदि हां तो जनहित में उक्त मार्ग को कब खोला जायेगा ?	सिंचाई

नत्थी 'ग'

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्याः- 05 निर्वाचन, 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं, 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, 18 सहकारिता, 20 सिंचाई एवं बाढ़, 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, 19 ग्राम्य विकास, 25 खाद्य, 26 पर्यटन, 29 औद्यानिक विकास

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री अजय भट्ट 2. श्री हरबंस कपूर 3. श्री रमेश पोखरियाल निशंक 4. श्री मदन कौशिक 5. श्री दलीप रावत 6. श्री अजय टम्टा 7. श्री महावीर सिंह 8. श्री पूरन सिंह फर्त्याल 9. डा0 प्रेम सिंह राना 10. श्री यतीश्वरानन्द 11. श्री चन्दन राम दास 12. श्री हरभजन सिंह चीमा 13. श्री बिशन सिंह चुफाल 14. श्री तीरथ सिंह रावत 15. श्री आदेश चौहान 16. श्रीमती विजय बड़थ्वाल 17. श्री राजेश शुक्ला 18. श्री दान सिंह भण्डारी 19. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 20. श्री बंशीधर भगत 21. श्री पुष्कर सिंह धामी 22. श्री सहदेव सिंह 23. श्री गणेश जोशी 24. श्री मालचन्द 25. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल 26. श्री राजकुमार ठुकराल 27. श्री भीमलाल आर्य।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।